



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

कमांक:—एफ4(1) पंरावि/विधि/सू.अ./2015/558 जयपुर,दिनांक 14-8-15

संशोधित आदेश

विधि एवं न्याय मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी सूचना का आधिकार अधिनियम,2005 जो भारत सरकार के असाधारण राजपत्र दिनांक 21.6.2005 में प्रकाशित हुआ है, की धारा 5(1)वें 19(1) के अनुसरण में उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अर्न्तगत सूचना प्राप्त करने हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों के निस्तारण के लिए विभागीय आदेश कमांक ए-4(1)पंरावि/प्रशि/सू.अ./2013/1049 जयपुर दिनांक 4.9.13 में संशोधन करते हुए निम्नानुसार राज्य लोक सूचना अधिकारी,सहायक लोक सूचना अधिकारी व अपीलान्ट अधिकारी नामांकित किये जाते हैं:—

(अ) शासन सचिवालय

क.सं.	लोक प्राधिकरण	लोक सूचना अधिकारी	सहा.लोक सूचना अधिकारी	अपीलान्ट अधिकारी
1.	पंचायती राज विभाग	शासन उप सचिव (प्रशा-1)	सहायक शासन सचिव	शासन सचिव

(ब)राजकीय विभाग

क.सं.	लोक प्राधिकरण	लोक सूचना अधिकारी	सहा. लोक सूचना अधिकारी	अपीलान्ट अधिकारी
1.	निदेशालय/ आयुक्तालय	उपायुक्त(जांच)	सहायक आयुक्त	आयुक्त

राजकीय विभाग अर्न्तगत नियुक्त सहायक लोक सूचना अधिकारी राज्य आयोग में लम्बित अपील,प्रकरणों में विभाग की पैरवी करेंगे ।

उक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे ।


शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि:—

- 1.संयुक्त शासन सचिव(विधि),पंचायती राज विभाग ।
- 2.शासन उप सचिव(प्रशा-1), पंचायती राज विभाग ।
- 3.शासन उप सचिव (प्रशा-2),पंचायती राज विभाग को प्रेषित कर लेख है कि निर्देशानुसार सूचना के अधिकार अधिनियम के कार्यों हेतु विभाग में एक अतिरिक्त सैल का गठन करें।
- 4.उपायुक्त(जांच)/प्रशिक्षण,पंचायती राज विभाग
- 5.सहायक शासन सचिव,पंचायती राज विभाग ।
- 6.अतिरिक्त आयुक्त, पंचायती राज विभाग ।
- 7.संबंधित अधिकारी/रक्षित पत्रावली ।


संयुक्त शासन सचिव(विधि)

१६